

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-एफ24(NOC18-19)/बी.एड/आकाशि/18/244

दिनांक:-02.4.2018

आदेश

निर्देशानुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पारिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा बी.एड./बी.पी.एड. (2 वर्षीय पाठ्यक्रम) के संचालन हेतु मान्यता प्राप्त एवं राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों हेतु सत्र 2014-15 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीटों अथवा सत्र 2015-16 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पारिषद् के रेगुलेशन 2014 के अनुसार निर्धारित सीटों में से, जो भी कम हो की प्रदत्त मान्यता के अनुसरण में सत्र 2018-19 के लिए संलग्न सूची के अनुसार शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र एतद्वारा जारी किया जाता है।

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत बी.एड. कोर्स में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के माध्यम से पी.टी.ई.टी. 2018 परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।
2. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत बी.पी.एड. कोर्स में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के माध्यम से प्री.बी.पी.एड. परीक्षा 2018 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।
3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे। यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की मान्यता को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।
4. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को एनसीटीई एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदण्डों की पूर्ति करने के साथ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी। मापदण्डों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर सकेगी।
5. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपयुक्त योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।
6. निजी विश्वविद्यालयों को शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन हेतु प्रदेश में केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित नोडल एजेंसी के माध्यम से प्रवेश पूर्व परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।
7. राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय काउन्सिलिंग में भाग ले रहे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्वयं के स्तर पर अथवा अन्य फेडरेशन/सोसायटी आदि के द्वारा परीक्षा आयोजित कर या अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान नहीं करेंगे।
8. राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी निजी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं को सत्र 2018-19 के लिए अभिवृद्धि शुल्क राशि रुपये 25000/- राजकोष के मद 0202-01-103-02-03 बी.एड. महाविद्यालय से प्राप्तियां में जमा कराकर काउन्सिलिंग से पूर्व सम्बन्धित नोडल एजेंसी में ई-चालान रसीद की एक प्रति एवं एक प्रति आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर में अनिवार्य रूपसे जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
9. समस्त शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाएँ स्वयं की वेबसाइट निर्मित करेंगे। उसके URL Name को आवेदन में अंकित करना होगा। इस वेबसाइट में महाविद्यालय को निम्न बिन्दुओं का आवश्यक रूप से उल्लेख करना होगा :-
  - i. महाविद्यालय की आधारभूत संरचना से सम्बन्धित दस्तावेज
  - ii. महाविद्यालय भवन में उपलब्ध कक्षाओं की संख्या, प्रायोगशाला, माप एवं चित्र
  - iii. महाविद्यालय में संचालित कोर्स में नामांकित छात्रों की संख्या (कुल स्वीकृत सीट, प्रवेशित छात्रों की संख्या)
  - iv. एनसीटीई रेगुलेशन 2014 के नियमानुसार सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदित शैक्षणिक स्टॉफ एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची
  - v. प्रत्येक 15 दिन में वेबसाइट अपडेट भी करनी होगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आयुक्त  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त सचिव, उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समन्वयक, बी.एड., बी.पी.एड./बी.एससी. 2018 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि सभी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं से ई-चालान रसीद प्राप्त करने के पश्चात् काउन्सिलिंग में भाग लेने की अनुमति प्रदान करें।
6. समन्वयक, प्री.बी.पी.एड. 2018, शिक्षा विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि सभी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं से ई-चालान रसीद प्राप्त करने के पश्चात् काउन्सिलिंग में भाग लेने की अनुमति प्रदान करें।
7. रजिस्ट्रार, समस्त विश्वविद्यालयों को भेजकर लेख कि संस्थाओं का सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व एनसीटीई के मान्यता एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी है।

|     |           |   |             |   |     |
|-----|-----------|---|-------------|---|-----|
| 433 | Jalore    | Munni Shri Kamal Vijay Ji M Sa TT College (114C007)                         | Bhinmal     | C | 100 |
| 434 | Jalore    | Shree Bhagwan Mahaveer B Ed College (114C006)                               | Sanchoe     | C | 100 |
| 435 | Jalore    | Shri Shanti Nath Vidhya Bharti TT College (114C001)                         | Jalore      | C | 100 |
| 436 | Jalore    | Sundha Mata Mahila TT College (114W005)                                     | Bhinmal     | W | 100 |
| 437 | Jalore    | UK Singh Dewal Memorial Teacher Training Sansthan (114C002)                 | Bhinmal     | C | 100 |
| 438 | Jhalawar  | Darshan TT College (116C009)  | Jhalrapatan | C | 100 |
| 439 | Jhalawar  | Dr Jakir Hussain M M Shikshak Prakhshian Mahavidhyalay (116C001)            | Jhalrapatan | C | 100 |
| 440 | Jhalawar  | Great India Teachers Training College (116C002)                             | Khanpur     | C | 200 |
| 441 | Jhalawar  | Millenium Shikshak Prashikshan Mahavidhalaya (116C005)                      | Aklera      | C | 100 |
| 442 | Jhalawar  | Nirmal Shishan Prashikshan Sansthan,  | Asnawar     | C | 100 |
| 443 | Jhalawar  | Sigma Mahila B Ed College (116W006)   | Jhalrapatan | W | 100 |
| 444 | Jhalawar  | Swami Vivekanand Shishak TT College (116C003)                               | Pachpaner   | C | 100 |
| 445 | Jhalawar  | Tagore B Ed College (116C008)   | Aklera      | C | 100 |
| 446 | Jhalawar  | Vardhaman Shikshak Mahavidalaya (116C004)                                   | Pidawa      | C | 100 |
| 447 | Jhalawar  | Vijayaraje Mahila TT College (116W007)                                      | Aklera      | W | 100 |
| 448 | Jhunjhunu | Ambika Teachers Training College (115C054)                                  | Malsisar    | C | 100 |
| 449 | Jhunjhunu | Amman Teachers Training College (115C001)                                   | Udaipurwati | C | 100 |
| 450 | Jhunjhunu | Baba Ganganath T.T. college (115C050)                                       | Nawalgarh   | C | 100 |
| 451 | Jhunjhunu | Balajee TT College (115C002)  | Udaipurwati | C | 100 |
| 452 | Jhunjhunu | Bhanwar Kanwar Sujan Singh Shiksha Mahavidhyalaya (115C055)                 | Udaipurwati | C | 100 |
| 453 | Jhunjhunu | Bhom Singh Mahila Shikshak Prashikshan College                              | Nawalgarh   | W | 100 |
| 454 | Jhunjhunu | Bhom Singh Teacher Training College, Ghodiwala Kalan, Nawalgarh, Mukandgarh | Nawalgarh   | C | 100 |
| 455 | Jhunjhunu | Career TT College (115C003)   | Jhunjhunu   | C | 100 |
| 456 | Jhunjhunu | Choudhary Teacher Training College,   | Jhunjhunu   | C | 100 |
| 457 | Jhunjhunu | Dhatarwal Teachers Training College (115C056)                               | Chirawa     | C | 100 |
| 458 | Jhunjhunu | Gangadhar Teachers Training College (115C057)                               | Chirawa     | C | 100 |
| 459 | Jhunjhunu | Gopi Krishan Piramal TT College (115C004)                                   | Jhunjhunu   | C | 120 |

17/12